

109



II निगरानी/छतरपुर/अं.स/2018/1835

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर तंभान ग्वालियर मण्डल

श्री जगती वसिष्ठ कृष्ण शर्मा
16/3/18 प्रकरण क्रमांक

~~निगरानी/अं.स/6/2017-18~~

3-4-18
~~16-3-18~~

1. प्रशरथ तमय स्व० श्री जगतकिशोर राव निवासी

ग्राम पलौठा तहसील व जिला छतरपुर मण्डल

आवेदक

वसाम

1. संतोष सिंह तमय स्व० श्री चंकर सिंह
2. श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व० श्री चंकर सिंह
3. मोहन सिंह
4. महावीर सिंह | पितराम स्व. श्री जगतकिशोर राव
5. चन्द्रशेखर | समस्त निवासी ग्राम पलौठा तह०
6. गणोज | व जिला छतरपुर मण्डल
7. पार्वती
8. विद्यादेवी
9. श्रीमती अंजू पत्नी श्री हरिचंकर अग्रवाल
निवासी वार्ड नं. 33 स्टड रोड छतरपुर मण्डल
10. श्रीमती मीना पत्नी अनिल कुमार अग्रवाल
- नि. चैतगिरी कालोनी छतरपुर मण्डल
11. बिपिन कुमार तमय रामेश्वर अवस्थी अध्यक्ष
संगम सेवा महिला उत्थान समिति छतरपुर जि. छतरपुर
12. मण्डल जतिन

JR-VB
16/3/18

----- अन्यावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 मण्डल भू-राजस्व
संहिता 1959 के तहत ।

निगरानी विरुद्ध निर्णय योग्य अधिकांश न्यायालय
श्रीमान् अपर जेजेक्टर महोदय, जिला छतरपुर के
राज० क्र० 52/अपील/अ-6/2016-17 में पारित अं०
दि० 13-3-2018 से पारित/दिल होकर ।

महोदय,

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2018 / 1835

दशरथ विरुद्ध संतोष सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>12-02-2019</p>	<p>आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र. क्र. 25/अपील/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 13-03-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) 12/02/19 सदस्य</p>